**ले.प.प्रति.सं.47/2018-19**

**कार्यालय उप जि□ला अधिकारी, चौबटटाखाल, पौडी गढवाल के माह अप्रैल / 2012 से नवम्बर / 2018** तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन **जो श्री अजय कुमार श्रीवास्तव सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों एवं श्री रविन्द्र कुमार जयंत वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 13-12-18 से 17-12-18 तक श्री प्रेम चन्द्र, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी** के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया

**भाग-I**

**परिचयात्मकः** इस इकाई की यह प्रथम लेखापरीक्षा है।

वर्तमान लेखापरीक्षा में **माह 04/2012 से 11/2018** तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गई।

**(i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः गढवाल परिक्षेत्र, पौडी गढवाल।**

**(अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः**

**(धनराशि लाख में)**

| वर्ष | प्रारम्भिक अवशेष | | स्थापना | | गैर स्थापना | | आधिक्य (+) | बचत (-) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | स्थापना | गैर स्थापना | आवंटन | व्यय | आवंटन | व्यय | | |
| **2015-16** | - | - | 156.50 | 132.49 | 12.34 | 11.51 | - | 24.87 |
| **2016-17** | - | - | 152.64 | 127.57 | 17.07 | 15.81 | - | 26.33 |
| **2017-18** | - | - | 178.44 | 155.13 | 24.42 | 21.53 | - | 26.20 |
| **2018-19 11/2018 तक** | | | 153.73 | 123.05 | 14.87 | 1.48 | - | 44.05 |

**(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः**

**(धनराशि लाख में)**

| वर्ष | योजना का नाम | प्रारम्भिक अवशेष | प्राप्त | व्यय अधिक्य (+) | बचत (-) |
|---|---|---|---|---|---|
| **2015-16** | | | | | |
| **2016-17** | | शून्य | | | |
| **2017-18** | | | | | |
| **2018-19 11/2018 तक** | | | | | |

इकाई को बजट आवंटन (क्रेन्द एवं राज्य सरकार ) द्वारा किया जाता है। स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई **कार्यालय उप जि□ला अधिकारी, चौबटटाखाल, पौडी गढवाल** को श्रेणी (सी) की है।

विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

**उप जिला अधिकारी**

↓

**तहसीलदार**

↓

**नायब तहसीलदार**

↓

**कानूगो/भूलेख निरीक्षक(मैदानी/पर्वतीय)**

↓

**राजस्व निरीक्षक**

↓

**राजस्व उप निरीक्षक**

लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में उत्तराखण्ड कुमाऊँ परिक्षेत्र एवं अनुपालन लेखापरीक्षा को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं प्रतिवेदन **कार्यालय उप जि□ला अधिकारी, चौबटटाखाल, पौडी गढवाल** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। विस्तृत जांच हेतु माह 03/13, 03/14, 03/17, 03/18, को चयनित किया गया। उपरोक्त माहों का विस्तृत विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन व्यय की अधिकता के आधार पर किया गया।

लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 एवं 16 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गई है।

**भाग-II 'अ'**

**प्रस्तर :---------- शून्य -----------------**

**भाग दो ब**

**<u>प्रस्तरः1-</u> ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना के अन्तर्गत जन सुविधा केन्द्रों द्वारा निर्धारित शुल्क से कम प्राप्त किये जाने के कारण रू 5.26 लाख के राजस्व की हानि ।**

उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 140/xxxiv/2015/16/2008पार्ट-2 सूचना प्रौद्धोगिकी अनुभाग देहरादून दिनांक 21 मार्च 2015 के प्रस्तर 2 के अनुसार ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना के अन्तर्गत जनपद स्तर पर निर्गत कम्प्यूटरीकृत प्रमाण पत्रों एवं अन्य सेवाओं के लिए शुल्क रू 30 का निर्धारण किया गया है!

कार्यालय के ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना से सम्बन्धित अभिलेखों की जांच में पाया गया कि कार्यालय उप जिला अधिकारी, चौबटटाखाल के अन्तर्गत मार्च 2015 से माह नवम्बर 2018 तक ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना के अन्तर्गत तहसील चौबटटाखाल में कुल 50431 प्रमाण पत्रो हेतु आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से तहसील से 23183 आवेदन पत्र प्राप्त किये गये। उनसे प्रति प्रमाण पत्र रू 30 प्रति लाभार्थी की दर से शुल्क रू 695430 प्राप्त किया गया है। लेकिन जन सुविधा केन्द्रों द्वारा 27248 प्रमाण पत्र बनाये जाने हेतु आवेदन पत्र प्राप्त हुए। उनसे केवल रू 10.68 प्रति प्रमाण पत्र की दर से रू 291008 प्राप्त किये गये। जबकि जन सुविधा केन्द्रों द्वारा रू 30 प्रति प्रमाण पत्र की दर से रू 817440 शुल्क लिया जाना चाहिए, अतः जन सुविधा केन्द्रो द्वारा रू 19.32 प्रति प्रमाण पत्र की दर से रू 526431 का कम शुल्क शासकीय खाते में जमा किया गया है। जिसके कारण विभाग को रू 5.26 लाख की राजस्व की हानि हुई है।

इस सम्बन्ध में सम्प्रेक्षा द्वारा इगित किये जाने पर इकाई ने उत्तर में कहा है कि प्रकरण शासन से सम्बन्धित है। इकाई का उत्तर मान्य नही है क्योंकि शासनादेश दिनांक 21 मार्च 2015 के प्रस्तर 2 में शुल्क रू 30 प्रति लाभार्थी का निर्धारण किये जाने के बाद भी कॉमन सर्विस सेन्टरों से कम शुल्क लिया जाना शासनादेश का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है।

**अतः ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना के अन्तर्गत जन सुविधा केन्द्रों द्वारा निर्धारित शुल्क से कम प्राप्त किये जाने के कारण रू 5.26 लाख के राजस्व की हानि का प्रकरण शासन के संज्ञान मे लाया जाता है।**

## भाग दो ब

**<u>प्रस्तरः2-</u> बैंक खाता में रू 24.22 लाख की धनराशि का अवरोधन।**

कार्यालय के बैंक खातों की जांच में पाया गया है कि उप जिला अधिकारी थलीसैंण के पद नाम से खोले गये भारतीय स्टेट बैंक चौबटटाखाल के खाता संख्या 11734897049 में दिनांक 30.11.2018 तक रू 24.22 लाख उक्त बैंक खाते में अवरूद्ध रखी गई है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई ने उत्तर में कहा है कि जांच कर भुगतान किया जायेगा।

अतः बैंक खाता में रू 24.22 लाख की धनराशि का अवरोघन किये जाने का प्रकरण विभाग के संज्ञान में लाया जाता है।

**भाग-दो 'ब'**

**प्रस्तर:03- राष्ट्रीय कृषि कार्यक्रम 'कृषि गणना' हेतु तहसील स्तर पर तैयार किये गये रूपपत्रों का सक्षम अधिकारियों द्वारा किया गया संदिग्धपूर्ण सत्यापन/निरीक्षण का प्रकरण।**

राष्ट्रीय कार्यक्रम 'कृषि गणना' से सम्बंधित अभिलेखों की जांच में पाया गया कि तहसील चौबट्टाखाल में कार्यरत लेखपालों द्वारा उक्त योजना के अन्तर्गत तैयार करवायें गये अभिलेख जैसाः कि चिट्ठा, रूपपत्र एल-01, एल-02 एवं एच जिलाधिकारी कार्यालय को प्रेषित किये गये है परन्तु तहसील स्तर पर उच्चधिकारियों द्वारा संदर्भित रूपपत्रों का किया गया सत्यापन/निरीक्षण से सम्बंधित कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं करवाये गये। जिसके परिणामस्वरुप यह सुनिश्चित नहीं हो पाया कि कितने रूपपत्र उच्चाधिकारियों के द्वारा सत्यापित करवाकर प्रेषित किये गये हैं। तहसील स्तर पर रूपपत्रों के रख-रखाव से सम्बंधित पंजिका उपलब्ध न होने के कारण लेखापरीक्षा में यह सत्यापन नहीं किया जा सका कि तहसील के अन्तर्गत- 290 ग्रामों में से कितने रूपपत्र एल-01, 02 एवं एच का उपयोग किया गया है और कितने शेष है।

उपरोक्त के सम्बंध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई ने अपने प्रत्युत्तर में बताया कि कृषि गणना से सम्बंधित कोई प्रमाण तहसील में उपलब्ध नहीं है सभी रूपपत्र लेखपालों द्वारा तैयार कर राजस्व परिषद को प्रेषित किए गए है एवं रूपपत्रों के रख रखाव हेतु कोई पंजिका नही बनायी गयी है। इकाई का उत्तर संतोषजनक नही है क्योंकि उक्त राष्ट्रीय कृषि कार्यक्रम के उपयोगार्थ आँकडों का उच्चाधिकारियों द्वारा संदर्भित रूपपत्रों का किया गया सत्यापन/निरीक्षण से सम्बंधित कोई साक्ष्य उपलब्ध नही करवाये गये। तहसील स्तर एक प्रारम्भिक/मुख्य स्तर है यदि प्रारम्भिक स्तर से ही वांछित आँकड़ों का सम्बंधित सक्षम उच्चाधिकारियों को निर्धारित निरीक्षण प्रतिशतानुसार निरीक्षण नहीं किया गया हो तो उच्च स्तर द्वारा प्रकाशित आँकड़ों की विश्वसनीयता संदिग्ध प्रतीत होती है।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

**<u>भाग-दो 'ब'</u>**

**<u>प्रस्तरः4</u>- लेन-देनों के लेखे की रोकड़बही न बनाया जाना।**

वित्तीय नियमानुसार रोकड़बही विभाग का मुख्य अभिलेख होता है जिसमें विभाग के सभी लेन देनों (नगद/चैक/ड्राफ्ट/ई पेमेंट) का लेखा रोकड़बही में इन्द्राज करना चाहिए।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, चौबट्टाखाल के लेखा अभिलेखों की जांच में देखा गया कि विभाग द्वारा लेखा परीक्षा अवधि 04/2012 से 11/2018 तक के दौरान ट्रेजरी से किए गए कुल रू 10.20 करोड़ के लेन-देनों (स्थापना+गैर स्थापना) की कोई रोकड़बही नहीं बनाई गयी है जो वित्तीय नियमों के विरूद्ध है।

सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि भविष्य में अनुपालन किया जायेगा।

अत रू 10.20 करोड़ के लेन-देनों के लेखे की रोकड़बही न बनाये जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

<u>**STAN**</u>

**<u>प्रस्तर:01-</u> विविध देयो/आर०सी० की धनराशि रू 2.27 लाख की वसूली लम्बित।**

कार्यालय उपजिलाधिकारी, चौबट्टाखाल जनपद पौड़ी के विविध देयों/ आर०सीज० से सम्बंधित पंजिकाओं एवं उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं के अवलोकन में पाया गया कि माह नवम्बर 2018 तक विविध देयों में रू 2.27 लाख के विविध देयों/आर०सीज० की धनराशि तहसील स्तर पर वसूली हेतु लम्बित है।

उपरोक्त के सम्बंध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए अपने उत्तर में बताया कि लम्बित दायित्वो की वसूली कर ली जायेगी।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

**STAN**

**प्रस्तर:02-₹ 30,000 राजकीय वाहन वसूली की कटौती न किया जाना।**

वित्त संसाधन (विविध) अनुभाग के शासनादेश संख्याः 710/दस-स0वि0नित-2-97 दिनांकः19 मई, 1999 के अनुसार यदि किसी अधिकारी को राजकीय वाहन आबंटित है वह उसका निजी उपयोग करें या न करें, उसके वेतन से प्रति माह (पेट्रोल कार के लिए रू 500 व जीप के लिए रू 400) की कटौती की जानी चाहिए तथा शासनादेश संख्याः 84/xxvii(7)50(6)/2017, दिनांकः 07 जून, 2017 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोंपरान्त यह निर्णय लिया गया गया है कि उक्त के अन्तर्गत राजकोष में जमा किये जाने वाली उक्त धनराशि में या वेतन से कटौती में वृद्धि करते हुए दिनांक 01 मई, 2017 से प्रत्येक वाहन हेतु रू 2000/प्रतिमाह की राशि निश्चित कर दी गयी थी।

कार्यालय के बिल पंजिका एवं जी0वी0आर0 से सम्बंधित अभिलेखों की जांच में पाया गया कार्यालय के निम्नलिखित अधिकारियों के वेतन से राजकीय वाहन वसूली की कटौती निर्धारित दर से नही की गयी है एवं जो अधिकारी राजकीय वाहन का उपयोग कर रहे है उनके वेतन से राजकीय वाहन वसूली की कटौती नहीं की गयी। जिसका विवरण निम्नलिखित हैः-

| अधिकारी का नाम/पदनाम | अवधि | | माह**x**लम्बित धनराशि | कुल धनराशि |
|---|---|---|---|---|
| | कब से | कब तक | | |
| श्री ख्याली चन्द्र पन्त/तहसीलदार | 09/2017 | 11/2018 | 15*2000 | 30,000 |
| योग | | | | 30,000 |

सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई ने जवाब दिया कि संबंधित अधिकारियों से जी.वी.आर. की कटौती कर लेखापरीक्षा को सूचित किया जायेगा। इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि जी.वी.आर. की कटौती पूर्व में ही की जानी चाहिए थी।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

**STAN**

**प्रस्तरः3- बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के रू 49500 के लैपटाप क्रय किया जाना।**

कार्यालय जिला अधिकारी, पौडी गढवाल के पत्र संख्या 3283/7- भूलेख 2015 दिनांक 18.07.2016 को तहसील चौबटटाखाल को आर0 ओ0 आर0 की मद की धनराशि रू 1.50 लाख कम्प्यूटर आपरेटर का मानदेय, दो नये कम्पयूटर प्रिटर सहित कागज क्रय करनें कार्टेज रिफिलिंग व कार्टेज क्रय करने की अनुमति प्रदान की गई थी।

कार्यालय के क्रय पत्रावली की जांच में पाया गया है कि आर0 ओ0 आर0 मद की धनराशि में से रू 49500 दो लैपटाप क्रय कर लियें गये हैं । जबकि लैपटाप क्रय हेतु जिला अधिकारी गढवाल से अनुमति नही ली गई है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई ने उत्तर में कहा है कि निर्वाचन को सुचारू रूप कराने के लिए लैपटाप का क्रय किया गया है। उत्तर मान्य नही है क्योंकि विभाग द्वारा आर0ओ0आर0 की धनराशि से लैपटाप क्रय किये जाने का कोई प्रावधान नही था।

अतः बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के रू 49500 के लैपटाप क्रय किया जाने का प्रकरण विभाग के संज्ञान में लाया जाता है।

**भाग-III**

**(अ) विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण:**

| लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या | भाग दो -"अ"प्रस्तर संख्या | भाग दो -"ब" प्रस्तर संख्या | पू0 न0 ले0 टिप्पणी प्रस्तर सं0 |
|---|---|---|---|
| प्रथम लेखापरीक्षा | | | |

**(ब) विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः**

| निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या | प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेषण | अनुपालन आख्या | लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|
| प्रथम लेखापरीक्षा | | | | |

## भाग-IV

## इकाई के सर्वोत्तम कार्य

--------- --- ----------- शून्य -----------------------------

**भाग-V**

**आभार**

**कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून** लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय उप जि□ला अधिकारी, चौबटटाखाल पौडी गढवाल** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता हूँ। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयः-**शून्य**

**सतत् अनियमितताएः-शून्य**

**लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया है।**

| **क्रंम संख्या** | **नाम** | **पद नाम** | **कार्यकाल अवधि** |
|---|---|---|---|
| .1 | श्री नितिन भदौरिया | उपजिलाधिकारी | नवम्बर-13 से 07.07.14 तक |
| .2 | श्री पी.एस. शाह | उपजिलाधिकारी | 08.07.2014 से 21.1.2014 तक |
| .3 | श्री कमलेश मेहता | उपजिलाधिकारी | 21.01.16 से 06.10.16 तक |
| 4. | श्री किशन सिंह नेगी | उपजिलाधिकारी | 7.06.16 से 06.07.18 तक |
| 5. | श्री श्याम सिंह राणा | उपजिलाधिकारी | 07.07.2018 से अब तक |

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय उप जिला अधिकारी, चौबटटाखाल, पौडी गढवाल** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे **उप महालेखाकार/ (सामान्य क्षेत्र) कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) "महालेखाकार भवन" दिवतीय तल एल-218 कौलागढ, उत्तराखण्ड, देहरादून** को प्रेषित कर दी जाए।

**वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी**

**सामान्य क्षेत्र**